

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर गंगापूर सिटी
पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना

अपील संख्या 42/24

तारीख रजजू- 30/09/24

1. भीमसिंह पुत्र बंदी मीना जाति मीना निवारी ग्राम मेडी उग्र 66 साल निवारी मैडी तहसील वजीरपुर।
-अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार वजीरपुर।

-रेरपोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 06/11/2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार वजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 112/24 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम मैडी के आराजी ख०नं० 1536 रकबा 0.50 है० व ख०नं० 1272 रकबा 0.30 है० किस्म गै०मु०चरागाह पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने एवं सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय उनवानी रूयेदार मिसल होने से काबिले निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सुनवाई व सबूत पेश करने का मौका ही नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दिनांक 20.08.2024 को मिसल दर्ज कर 28.08.2024 का नोटिस जारी किया और उसी दिन फैसला जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को सबूत पेश करने का अवसर नहीं देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की हत्या की है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय से बार-बार कहता रहा कि पटवारी मौके पर नहीं गये हैं। भयंकर पानी बरसात का बरस रहा है और खेतों में पानी भरा हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा बिना नाप तोल के तहसील में बैठकर गलत रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को जो धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है। उसमें तारीख अंकित नहीं है। इसी विनाह पर कथित नोटिस शून्य है तथा नोटिस प्रोपर न होने के अभाव में निर्णय असंवैधानिक है और निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय में रकबा व पटवारी रिपोर्ट में रकबा भिन्न होने के कारण निर्णय निरस्त योग्य है। वर्तमान अपील में वर्णित भूमि पर प्रार्थी अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है, भूमि खाली है, साथ ही अधिवक्ता अपीलान्त ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का

अवसर प्रदान करने तथा अतिक्रमिता आराजी पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त वाद आराजीयात पर अपीलार्थी द्वारा वर्तमान में भी जोत की हुई है, साथ ही पेशेकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, उरा पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु धारा 91(3) को नोटिस जारी किया गया। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतीचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना एवं बयान में अपीलार्थी द्वारा संवत् 2080 में अतिक्रमण करना अंकित किया हुआ है। तहसीलदार वजीरपुर ने अपने पत्रांक रीडर/2024/146 दिनांक 25.10.2024 द्वारा अवगत कराया है कि उक्त वाद आराजीयात पर वर्तमान में मौके पर जोत है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.08.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रा.किशोर मीना)
अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी